न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1193–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–9–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बदनावर जिला धार अपील प्रकरण कमांक 9/अ–2/2013–14.

श्री बालाजी डेवलपर्स धार द्वारा–
मुर्तजा हैदरी पिता सैफुददीन बोहरा
निवासी धार तह.व जिला धार म.प्र. ....आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0शासन ....अनावेदक

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमती नीना पाण्डे, अभिभाषक, अनावेदक शासन

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/1/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी बदनावर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–9–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष ग्राम बिडवाल तहसील बदनावर जिला धार स्थित भूमि सर्वे कमांक 812/1/2 रकबा 2.024 हेक्टेयर भूमि के व्यपवर्तन हेतु संहिता की धाारा 172 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 9/अ–2/2013–14 दर्ज कर दिनांक 30–9–14 को कार्यवाही कर प्रकरण में प्रतिवेदन प्राप्त कर शामिल नस्ती किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई इसी कार्यवाही के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 4–10–2016 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि उभयपक्ष अभिभाषकगण 7 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, इसलिये प्रकरण के अंतिम

निराकरण में आवेदक के निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों व अभिलेख पर विचार किया जा रहा है ।

4/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विधिवत् जॉच की जाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुमोदन प्राप्त हो चुके थे, इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के व्यपवर्तन की अनुमति नहीं देने में अवैधानिकता की गई है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनर्गलएवं आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति के द्वारा की गई शिकायत के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि की अनुमति नहीं देने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यकायक अनर्गल आपत्ति पर से प्रकरण वरिष्ठ न्यायालय को भेजना अनियमित कार्यवाही है ।

(4) आवेदक व उसके साथ हकदार कुलदीप जो कि प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी हैं, के द्वारा विधिवत् व्यपवर्तन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था और राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् जॉच की जाकर पंचनामा नक्शा व विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये गये थे, इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के व्यपवर्तन की अनुमति नहीं देने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अभी जॉच की जाकर प्रतिवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और प्रकरण में अभी कलेक्टर द्वारा किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है । इस प्रकार कलेक्टर के समक्ष आवेदक को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, अतः यह निगरानी प्रीमैच्योर होने से निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर